6

भविष्य निर्वाह निधि

विषय सूची

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	महालेखाकार द्वारा संसूचित सेवानिवृत्त कार्मिकों को भविष्य निधि के ऋणात्मक भुगतान के संबंध में	सं0 235 / xxvii(28) / 2010 दिनांक 11 मार्च, 2010	71–72
2.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु प्रेषित किया जाना	सं0 300 / xxvii(1) / 2010 दिनांक 03 जून, 2010	73–74
3.	वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय 30 प्रतिशत वेतन / पेंशन एरियर की अंतिम किश्त की धनराशि जी0पी0एफ0 खाते में डाला जाना	सं0 392 / xxvii(1) / 2010 दिनांक 13 जुलाई, 2010	75–76

पत्र संख्या–235 / **xxvii** (28) / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,

उत्तराखण्ड।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ

देहरादून दिनांकः 11 मार्च, 2010

विषयः महालेखाकार द्वारा संसूचित सेवानिवृत्त कार्मिकों को भविष्य निधि के ऋणात्मक भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 176 / xxvii (28) / 2009 दिनांकः 23 दिसम्बर, 2009 द्वारा सूचित ऋणात्मक भुगतान के प्रकरणों को शासन द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है। सम्बन्धित विभागों की दिनांक 24 फरवरी, 2010 को शासन स्तर पर एक बैठक भी आयेजित की गई थी।

इस सम्बन्ध में भविष्य निधि नियमावली के प्रस्तर 11 (6) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना है कि ***जहाँ अधिक भुगतान की धनराशि या उसके जहां अति आहरित धनराशि या उसके भाग को ब्याज सहित अन्य साधनों से वसूल नहीं किया जा सकता वहां उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।***

अनुरोध है कि ऐसे सभी प्रकरणों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक त्रैमास में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना शासन के वित्त आडिट प्रकोष्ठ को भेजी जायेः–

क. स.	अभिदाता का नाम लेखा संख्या	महालेखाकार द्वारा सूचित ऋणात्मक भुगतान की राशि	विभाग द्वारा जांचोपरान्त ऋणात्मक धनराशि	भुगतान की वसूली की स्थिति तथा क्या आर. सी. जारी की गई है?	अधिक भुगतान के लिए प्रशासनिक एवं लेखा प्राधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही।

शासन स्तर पर ऐसे प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),
सचिव।

पत्र सख्या–235 / **xxvii**(28) / 2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड।
3. वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि ऐसे प्रकरणों पर प्रभावी अनुश्रवण करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को नियमित रूप से अवगत करायें।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी),
सचिव।

पत्र संख्या– 300/xxvii (1)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून दिनांकः 03 जून, 2010

विषयः सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– 82/xxvii (1)/2009 दिनांकः 13 फरवरी, 2009 द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान हेतु अभिदाता की पासबुक छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान किये जाने की व्यवस्था की गई थी। इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान विषयक प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

1. सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान हेतु अभिदाता की पासबुक का मिलान महालेखाकार कार्यालय से छः माह पूर्व कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु प्रत्येक दशा में सामान्य भविष्य निधि के अवशेष के 90 प्रतिशत के भुगतान आदेश अभिदाता की सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व निर्गत कर दिये जाये तथा तुरन्त ही अवशेष 10 प्रतिशत के भुगतान हेतु महालेखाकार को समस्त अभिलेख प्रेषित कर दिये जाये। अभिलेख प्रेषण के बाद सेवानिवृत्ति की तिथि के मध्य यदि महालेखाकार द्वारा लेखा में कोई त्रुटि/विसंगति इंगित की जाती है तो तदनुसार उपरोक्त 90 प्रतिशत के भुगतान आदेश में संशोधन कर भुगतान की कार्यवाही की जाये तथा यदि सेवानिवृत्ति की तिथि तक महालेखाकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सेवानिवृत्ति की तिथि को पूर्व में आगणित 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कर दिया जाये।
2. महालेखाकार द्वारा जी0पी0एफ0 भुगतान प्रकरणों में अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

पत्र सख्या– 3003/xxvii(1)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), को प्रमुख सचिव, वित्त के कक्ष में हुई बैठक दिनांकः 21 मई, 2010 में लिये गये निर्णय के कम में।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अपने–अपने विभाग के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
3. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या–392/XXVII(1)/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 13 जुलाई, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय 30 प्रतिशत वेतन/पेंशन एरियर की अन्तिम किश्त की धनराशि जी0पी0एफ0 खाते में डाला जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–276/XXVII(1)/2010 दिनांक 25 मई, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय 30 प्रतिशत अवशेष वेतन/पेंशन एरियर की अन्तिम किश्त की धनराशि का भुगतान वित्त विभाग के अग्रिम आदेशों के बाद ही किये जाने के निर्देश दिय गये थे। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय 30 प्रतिशत अवशेष वेतन/पेंशन एरियर की अन्तिम किश्त की धनराशि में से आयकर काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय। नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को आयकर तथा अंशदान काटकर एरियर की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि राज्य के जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के 06 माह या इससे कम शेष है, और उनके जी0पी0एफ0 की कटौतियां बन्द किये जाने की प्रकिया उत्तराखण्ड भविष्य निधि नियमावली, 2006 के अनुसार प्रचलन में है। ऐसे कार्मिकों के वेतन एरियर की 30 प्रतिशत अवशेष धनराशि में से आयकर की धनराशि काट कर नकद भुगतान किया जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 392 (1)/XXVII(1)/2010 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिग सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. शासन के समस्त अनुभाग।
10. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
11. स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

13/7/2010

(एल0 एम0 पन्त)
सचिव, वित्त